The Research Dialogue
An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-2, Issue-2, July-2023
www.theresearchdialogue.com

बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में स्त्री शिक्षा की स्थिति

डॉ.मनीषा पाल
असिस्टेंट प्रोफेसर
शिक्षाशास्त्र विभाग
श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोंडा।

शरांश :

बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में स्त्री शिक्षा की स्थिति महत्वपूर्ण थी। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों में समानता की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और इसका परिणामस्वरूप स्त्रीयों को भी शिक्षा के प्रति अधिकार मिलता था। विहारों में स्त्रीयों का सक्रिय योगदान देखा जा सकता है, जहाँ उन्हें विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता था। स्त्री शिक्षिकाएं और शिक्षिका भी विहारों में पायी जाती थीं, जिनका कार्य शिक्षा प्रदान करना और धार्मिक शिक्षा देना था। बौद्ध धर्म में शिक्षा के माध्यम से समाज में स्त्रीयों का समान योगदान और नैतिक उन्नति की प्रोत्साहना दी जाती थी। इस प्रकार, बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में स्त्री शिक्षा की स्थिति समाज में समानता और ज्ञान के प्रति आग्रह की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान की गई थी।

शिक्षा मनुष्य के सर्वांगिंण विकास का माध्यम है इससे मानसिक तथा बौद्धिक शक्ति तो विकसित होती है भौतिक जगत का भी विस्तार होता है। गुरूकुल परंपरा में चली आ रही प्रचीन शिक्षा पद्धति का बौऋ काल में परिवर्तन हुआ और अब मठो तथा बिहारों में दी जाने लगी। आत्मसंयम एवं अनुशासन की पद्धति द्वारा व्यक्तित्व के निर्माण पर बल दिया जाने लगा। शुद्धता एवं सरल जीवन इसका प्रमुख उद्देश्य था। गुरू शिष्य के बीच सद्भावना और सन्मार्ग था। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को समाज का योग्य सदस्य बनाने और फिर भारत को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता था। शिक्षा के विषय और पद्धति बौद्ध काल में काफी परिवर्तित हो चुकी थी। स्त्री शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाने लगा।

शब्द कुँजी: *बुद्धिष्ट, बौद्धकाल, बौद्धिक शिक्षा, बौद्ध साहित्य, गुरूकुल पद्धति, स्त्री शिक्षा।*

बौद्ध धर्म के कालीन समय में शिक्षा प्रणाली में स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता था। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों में समानता और सभी मनुष्यों के अधिकारों की प्रमुखता थी, इसलिए स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार था। बौद्ध धर्म में शिक्षा प्राप्त करने के लिए महिलाएं भी समान अवसर प्राप्त कर सकती थीं, जैसे कि पुरुषों को मिलते थे। शिक्षा का महत्व बौद्ध धर्म में मननीय था, और यह मान्यता प्राप्त है कि शिक्षा से मनुष्य अपने दुखों को समझने, उन्हें दूर करने और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने में सहायक होती है। बौद्ध संघ में स्त्री समुदाय के भी विशेष प्रतिष्ठान थे जिन्हें "बिक्षुणी" कहा जाता था। बिक्षुणियों का मार्गदर्शन करने का कार्य उन्हें सूनील बुद्ध के उपदेशों को समझाने के लिए था, और वे बौद्ध समुदाय के अद्वितीय सदस्य थे जो शिक्षा और मार्गदर्शन के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाती थीं।

समय के साथ, बौद्ध शिक्षा प्रणाली भी परिवर्तित हो गई है, लेकिन बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राथमिकता और समानता के सिद्धांत आज भी उनके अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

बौद्ध धर्म में नारी शिक्षा

बौद्ध धर्म के समय में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था और इसके अंतर्गत स्त्री शिक्षा भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को समानता का मानवाधिकार मिलता था, जिससे वे भी ज्ञान का अध्ययन कर सकती थीं। निम्नलिखित प्रमुख तत्व बताते हैं कि बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में स्त्री शिक्षा की स्थिति कैसी थी:

1. समानता का सिद्धांत: बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों में समानता का महत्वपूर्ण स्थान था। गौतम बुद्ध ने समाज में समानता को प्रमोट किया और इसका अंतर्गत स्त्रीयों को भी शिक्षा का अधिकार था।

2. विहारों में स्त्री शिक्षा: बौद्ध विहारों में शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रीयों का सक्रिय योगदान था। उन्हें विशेष शिक्षा प्रदान की जाती थी और उन्हें धर्म, दर्शन, भाषा आदि के क्षेत्र में पढ़ाया जाता था।

3. शिक्षिकाएँ और शिक्षिका: बौद्ध धर्म में स्त्रीयों को शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दी जाती थी। विहारों में शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रीयाँ शिक्षिका के रूप में भी थीं और उन्हें विभिन्न विषयों में शिक्षा देने की जिम्मेदारी थी।

4. शिक्षा के माध्यम: बौद्ध धर्म के समय में शिक्षा के विभिन्न माध्यम थे जैसे कि सुत्र, गाथा, श्रुति आदि। स्त्रीयों को भी इन माध्यमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी।

5. नैतिक और धार्मिक शिक्षा: स्त्रीयों को नैतिक और धार्मिक शिक्षा देने का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था। उन्हें समाज में सही दिशा में अग्रसर होने के लिए शिक्षा प्रदान की जाती थी।

बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में स्त्री शिक्षा की स्थिति उस समय की सामाजिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण थी। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और गौतम बुद्ध के उपदेशों के प्रति स्त्रीयों के समान अधिकार और शिक्षा प्रदान करने की धारा थी, जिससे समाज में स्त्रीयों की शिक्षा और उनके समाज में योगदान का मार्ग खुला रहता था।

डॉ० राधाकृष्णन् ने उचित ही कहा है, "बौद्ध धर्म नया धर्म नहीं है, अपितु हिन्दू धर्म का ही परिवर्तित रूप है ।" इस समय तक वैदिक धर्म में ज्ञान एवं कर्म के समन्वय का पूरी तरह समाप्तीकरण हो चुका था। ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ गया था, वे विशेषाधिकार

प्राप्त कर चुके थे और राज्यकार्य में भी उनका पर्याप्त हस्तक्षेप था। जनता उनके बनाये गये नियमों और धार्मिक अन्धविश्वास से तंग आ चुकी थी। वर्ण–व्यवस्था अत्यधिक जटिल हो गई थी। योग्यता और रूचि के अनुसार विकास करने की स्वतंत्रता नहीं थी। महात्मा बुद्ध ने समय की माँग को समझा और अपने सिद्धान्तों में इन सभी कुरीतियों और बाह्यडम्बरों की निन्दा की। उन्होंने हिन्दू धर्म के दोषों को सुधारने की चेष्टा की। सदाचार, संयम और पवित्र जीवन पर बल दिया। इस धार्मिक परिवर्तन का शिक्षा के क्षेत्र पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा। अब तक भारत में वैदिक शिक्षा ही प्रचलित थी। अतः बौद्ध धर्म के प्रचार होने पर भी शिक्षा के क्षेत्र पर ब्राह्मणीय शिक्षा की छाप बनी रही। यह परिवर्तन छठी शती ई० पू० में हुआ। शिक्षा और धर्म प्रचार का माध्यम जनसाधारण की भाषाएँ बनाई गई। इस समय जिस नई शिक्षा प्रणाली का प्रारम्भ हुआ वह बौद्ध शिक्षा प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध है।

बौद्ध धर्म के प्रारम्भ में स्त्री शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि बौद्ध धर्म में स्त्रियों का स्थान पुरूषों की अपेक्षाकृत निम्न था ओर उन्हें संघ में प्रवेश की स्वतंत्रता नहीं थी। कुछ समय उपरान्त स्त्री शिक्षा का प्रचलन प्रारम्भ हो गया, किन्तु इस क्षेत्र में केवल सीमित विकास ही हो सका। बौद्ध शिक्षा के प्रारम्भिक काल में स्त्री शिक्षा को कुछ प्रोत्साहन मिला और उनके लिए पृथक, मठों और बिहारों का निर्माण भी हुआ। किन्तु शिक्षा ग्रहण करने वाली स्त्रियों की संख्या अति अल्प थी। वेदकालीन शिक्षा के अन्तर्गत स्त्री शिक्षा का अपेक्षाकृत अधिक प्रचलन था। प्रथम तीन वर्ण की प्रत्येक बालिका का उपनयन संस्कार होता था, किन्तु अब इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने का निर्णय भिक्षु ही लेते थे। वे केवल अलपसंख्या में ही उनके प्रवेश की सहमति देते थे, अतः स्त्रियों की संख्या कम थी। संघ में विशेष रूप से कुलीन और व्यावसायिक वर्ग की स्त्रियों ने ही प्रवेश किया। ये सभी भिक्षुणी हो गयी थी। साधारण स्त्रियों की शिक्षा का बौद्ध शिक्षा प्रणाली में कोई स्थान नहीं था। जब चौथी शती ई० में बौद्ध शिक्षा केन्द्रों का अत्यधिक विकास हुआ और वे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर गये तो स्त्रियों को इन विद्यालयों में स्थान नहीं दिया गया। किन्तु फिर भी कुछ अन्य केन्द्रों में स्त्री शिक्षा प्रचलित थी, जिनसे उनका चारित्रिक उत्थान हुआ। इस समय अनेक विदुषियाँ हुई, जिन्होंने दर्शन और धर्म के क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान दिया। ये जीवन पर्यन्त भिक्षुणियाँ रहती थीं और धर्म तथा दर्शन का गूढ़ अध्ययन करती थीं। थेरीगाथा' की रचना स्त्रियों ने ही की थी। कहा जाता है कि उन्हें सदाचार व्रत के पालन के कारण निर्वाण प्राप्त हो गया था। इनमें से 32 अविवाहित और 18 विवाहित थी। शुभा, अनुपमा और सुमंधा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती रहीं। इस समय के ग्रन्थों के आधार पर स्पष्ट है कि स्त्रियाँ सभी क्षेत्रों में भाग लेती थीं। कुछ स्त्रियाँ बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए विदेश भी गई थीं। उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियाँ अध्यापन कार्य भी करती थीं और उपाध्याया कहलाती थी। कुछ कवयित्रियों के नाम भी प्राप्त हैं जैसे शीलभट्टारिका, प्रभुदेवी, विजयांका आदि। इन्हें अतुलनीय कहा गया है। राजनीति का क्षेत्र भी स्त्रियों से अछूता नहीं था। इस काल में अनेक रानियाँ हुई जिन्होंने सफलतापूर्वक शासनभार सम्भाला जैसे सातवाहन देश की रानी नयनिका, वाकाटक वंश की रानी प्रभावती गुप्ता, तथा दक्षिण भारत में विजयभट्टारिका इसी श्रेणी की स्त्रियाँ थीं। ये सुशिक्षित थीं और राज्यकार्य, राजनीति में इसी काल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। स्त्रियों को आयुर्वेद, आलोचना, वेदान्त, संघों में पुष्ट, श्रुत एवं परिशंकित तीनों स्थानों से प्रवारणा करनी चाहिए, भिक्षुणी को दोनों संघों में क्षमापना करनी चाहिए, दो वर्ष 6 धर्मों में शिक्षित होकर भिक्षुणी को दोनों संघों में उपसंपदा की प्रार्थना करनी चाहिए, भिक्षुणी को आक्रोश–परिभाषण नहीं करना चाहिए, भिक्षुणियों के लिए भिक्षुओं को कुछ कहने का मार्ग निरूद्ध है,

भिक्षुओं के लिए निरूद्ध नहीं है। इन शर्तों के साथ भिक्षुणी - संघ को अनुमति देते हुए भी तथागत ने यह कहा कि यदि स्त्रियाँ इस धर्म–विनय में प्रव्रज्या न पाती तो यह सहस वर्ष तक ठहरता, स्त्री प्रव्रज्या के कारण सद्धर्म केवल पाँच सौ वर्ष ठहरेगा।"

स्त्रियों के लिए प्रज्ञप्त 6 शिक्षापद (जो कि पाचित्तय संख्या 63 से 68 तक है।) हिंसा, चोरी, अब्रह्मचर्य, मृषावाद, मद्यपान और विकाल भोजन का वर्जन करते हैं। उनके लिए उपदिष्ट प्रातिमोक्ष में अनियत- काण्ड नहीं है। पाराजिक–काण्ड में 8 अपराध गिनाये गये हैं जिनमें भिक्षु प्रातिमोक्ष के चार अपराधों के साथ चार और का संनिवेश है- कामासक्ति से पुरूश का घुटने के ऊपर पैर दबाना, कामासक्ति से पुरुष का स्पर्श या एकान्त में साथ संघ से निकाले भिक्षु का अनुगमन एवं किसी और भिक्षुणी के पाराजिक अपराध को छिपाना । भिक्षुणियों के लिए 19 संघादिदेष अपराध बताये गये हैं- पुरूष के साथ घूमना, चोर को दीक्षा देना, अकेले घूमना, संघ से निकाली भिक्षुणी का अनुगमन, आसक्ति से पुरुष के हाथ से खाद्य लेना अथवा दूसरी भिक्षुणी को

इसके लिए उत्साहित करना, कुटनी बनना, निर्मल या लेश मात्र से किसी पर पराजिक का आरोप करना, त्रिरत्न का प्रत्याख्यान करना, संघ की निन्दा, कुसंग अथवा कुसंग के लिए प्रेरित करना सीख न लेना और कुलों को बिगाड़ना। नैसर्गिकों की संख्या भिक्षुणी- प्रातिमोख में भी तीस है। पाचित्तियों की संख्या 166 है जिनमें लहसुन खाना, कूड़ा-कचरा दीवार के पार फेकना, नाच-गाने में जाना, दूसरे को सरापना, सूत कातना आदि सम्मिलित है । गर्भिणी, स्तन्यपायिनी, 12 वर्ष से कम की विवाहिता एवं बीस वर्ष से कम की कुमारी को उपसम्पदा नहीं दी जा सकती और न उसे जिसने दो वर्ष से कम शिक्षा ग्रहण की है। भिक्षुणियों के लिए पाटिदेसनिय धम्म आठ है और भिक्षु -पाति मोक्ख के 39 वें पाचित्तिय से अभिन्न हैं । शैक्ष धर्म और अधिकरण शमथ भिक्षुओं के सदृश है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सारस्वत, मालती और मदन मोहन, (2009), भारतीय शिक्षा का इतिहास एंव समस्यायें, इलाहाबाद : न्यू कैलाश प्रकाशन, पृ० - 1 - 24।

2.राधा कृष्णन, सर्वपल्ली (2012), भारतीय दर्शन - 1 दिल्लीः राजपाल एण्ड सन्स, पृ० - 5 2.

3. जैन, महावीर सरन, (2010), भगवान महावीर एवं जैन दर्शन, इलाहाबाद : लोक भारती प्रकाशन, पृष्ठ-24,52.

4. विद्यालंकार, मनोहर, (1994), वेद प्रदीप नारी तथा वेदाध्ययन अंक - 3 पृष्ठ - 24।

5. विद्यालकार मनोहर, (1995), वेद प्रदीप, वेद में नारी का स्थान अंक 4 पृष्ठ - 16|

6.मजूमदार, वी. (2013)

7. जिगना, ए. रावल (2013). "प्राचीन भारत में महिला शिक्षा "IMJAR 87 Volume : 1 / ISSUE:3"

8. सर्वपल्ली, आर. के. (2012), भारतीय दर्शन - 1, दिल्लीः राजपाल एण्ड सन्स पृष्ठ - 232,233.

9. पाण्डेय, रामशकल, (2010). "विश्व के श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री विनोद पुस्तक मन्दिर आगराः पृ. - 296,

10. सरन, महावीर जैन, (2010), भगवान महावीर एवं जैन दर्शन, इलाहाबादः लोकभारती प्रकाशन, पृष्ठ - 27,91, 213.

11. Margaret, Alva, (1988), Women in India, Manorama year book.

12. Altekar, A.S. (1992), Education in Aveient India. 42. Sarkar, S.C.(1968), Educational Ideas and Institutions in Aneint India.Delhi: P.82

13. Sharmila, N. & Dhas, A.S. (2013). Development of women education in India.

14. Bhargava, P. Lal (1957).India in the Vedic Age: A History of Aryan expansion in India: The Upper India publishing House Luck now. P.86

15. Chaudhari. J.B.(1956),Position of women in Vedic Ritual,Val.-II Calcutta .P.47

16. Kamat Jyotsna. (2014) Education in Karnataka through the ages Jaina system of Education."Kamet Research Database .P-2-7

17. Das Gupta, D.C.(1942) 'Jain system of Education,calcutta:PP.7475

THE RESEARCH DIALOGUE

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed /Refereed National Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-2, Issue-2, July-2023
www.theresearchdialogue.com
Certificate Number July-2023/44
Impact Factor (IIJIF-1.561)
https://doi-ds.org/doilink/01.2023-11922556

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

डॉ.मनीषा पाल

for publication of research paper title

बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में स्त्री शिक्षा की स्थिति

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-02, Issue-02, Month July, Year-2023.

Dr. Neeraj Yadav
Executive Chief Editor

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor-in-chief

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.theresearchdialogue.com

INDEXED BY